राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	श्रीमति केसरदेवी / सत्यनारायण 242/2020 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/01/2026	माननीय राजस्व मण्डल से बाद निर्णय यह पत्रावली प्राप्त होने पर आज पेश हुई। मूल पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 2763/2020 में पारित निर्णय दिनांक 02/12/2025 का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 02/12/2025 पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद का निस्तारण अन्तिम रूप से हो जाने का कथन करते हुये निगरानी याचिका को सारहीन हो जाने ख़ारिज फरमा दी गयी। चूँकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद का निस्तारण हो गया एवं माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत निगरानी को भी मूल वाद के निस्तारण हो जाने के फलस्वरूप सारहीन हो जाने से ख़ारिज फरमा दिया गया है। अत: माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02/12/2025 के अध्ययधीन इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अपील से सम्बन्धित मूल वाद का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तिम निस्तारण हो जाने से अपील अपीलार्थी सारहीन होना स्पष्ट होने से ख़ारिज की जाती है। तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	